

14-11-18

वकील इपीलान्द्र उपलब्धत प्रकरण
में राज इण्डिया लिमिटेड पर मुना
गाना को यह प्राप्त कि इपीलान्द्र
ज्ञात यह इपील इम न्यायालय
में नदमीलकार के द्वारा सदस्य
विभाजन के आदेश के विरुद्ध
प्रथम इपीलान्द्र जिला कलकत्ता के
अदालत दि. 27-8-18 को निर्णित
की गई है यह इपील धारा-
223 RTA के अन्तर्गत की गई
है विधिक स्थिति इस प्रकार
है कि नदमीलकार द्वारा सदस्य
विभाजन के आदेश की इपील
जिला कलकत्ता के अदालत धारा-
225 में संश्लिष्ट होनी है

६

प्रमाणित कि सधमात्र आमजन
 द्वारा नदी नदी का जल को दूषित
 नहीं करे। धारा 225 RTA में
 जिला कलेक्टर के अथवा प्रभु
 जिले के निर्देश की दिशा में
 जिला धारा-225 RTA के
 अनुसार नदी को सफाई, नदी
 अथवा नदी के अथवा जिले में
 अथवा नदी नदी, नदी, नदी
 अथवा जिले की अथवा प्रभु
 अथवा जिले के अथवा प्रभु

प्रमाणित कि सधमात्र आमजन

द्वारा नदी नदी का जल को दूषित
 नहीं करे। धारा 225 RTA में
 जिला कलेक्टर के अथवा प्रभु
 जिले के निर्देश की दिशा में
 जिला धारा-225 RTA के
 अनुसार नदी को सफाई, नदी

प्रमाणित कि सधमात्र आमजन

मु. प्र. अ. एवं रां. अ. अ.
 सधमात्र (पंज.)